168

संख्या– — /XXXVI(1)/2013 -160/2010

प्रेषक,

प्रेम सिंह खिमाल,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 17 जनवरी, 2013

विषय– महाधिवक्ता कार्यालय, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में 10 पद आशुलिपिक, संविदा/आउटसोसिंग से रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0–474/P.S./2012 दिनांक 18–10–2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महाधिवक्ता कार्यालय, नैनीताल में आशुलिपिक, संविदा/आउटसोसिंग के 10 पदों पर समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–596/XVII-3/2011-09(17)/2004 दिनांक 18.11.2011 में उल्लिखित दरों एवं शर्तो पर अग्रिम आदेशों तक रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– उक्त पद धारक को शासनादेश दिनांक 18.11.2011 द्वारा प्रदत्त सुविधायें अनुमन्य होगी।

4– उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप नियुक्ति होने के उपरान्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 04 के लेखाशीर्षक "2014 न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)–03–महाधिवक्ता–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 140 NP/XXVII(5)/2012 दिनांक 14.01.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव

क्रमश.....2

संख्या– 221)/ XXXVI(1)/2013 -160/2010 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
4– एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव